प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 19 जनवरी, 2026

विषयः- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम आसरे सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह, निवासी जनपद-मऊ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राम आसरे सिंह पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह (दिनांक 16.05.2024 तक बन्दी की आयु लगभग 63 वर्ष 07 माह 20 दिन) ग्राम-कन्सो, थाना-हलधरपुर, जनपद-मऊ का निवासी है। बंदी द्वारा जमीनी रंजिश को लेकर दिनांक 04.10.1994 को 05 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर कट्टा से गोली मारकर 03 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-123/1995 में भा०द०वि० की धारा-302/149, 307/149, 148 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मऊ के दण्डादेश दिनांक 22.05.2003 द्वारा मृत्युदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 07.12.2004 द्वारा दोषमुक्त किया गया। मा० उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के आदेश दिनांक 26.02.2016 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 16.05.2024 तक अपरिहार 10 वर्ष, 02 माह, 02 दिन तथ सपरिहार 11 वर्ष, 09 माह 16 दिन की सजा काटी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा बन्दी के छूटने के बाद परिजनों को हानि पहुंचाने, पुन अपराध में संलिप्त होने, कारित अपराध से समाज में व्यापक रूप से असर होने, गाँव में गुटबन्दी को लेकर काफी कसीदगी व तनाव व्याप्त होने, बन्दी व विपक्षी का घर आमने-सामने होने के कारण समयपूर्व रिहाई होने पर पुनः अपराध करने की पूर्ण सम्भावना होने, परिजनों के अन्दर भय व्याप्त होने का अंकन करते हुए बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति की आख्यानुसार बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष दिनांक 16.05.2024 तक अपरिहार 10 वर्ष, 02 माह. 02 दिन तथा सपरिहार 11 वर्ष, 09 माह, 16 दिन की ही भोगी गयी सजा, समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने एवं बन्दी द्वारा कारित अपराध की प्रकृति (03 व्यक्तियों की हत्या) तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी राम आसरे सिंह (बन्दी संख्या-23/2021) पुत्र श्री रामचन्द्र सिंह, निवासी जनपद-मऊ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-52/2026/1910(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, मऊ।

2- पुलिस अधीक्षक, मऊ।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/ मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

5- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।